

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

19

जून 2017

विषय:- कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी०टी०रोड किमी० 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिदूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/06/19/2017/एफसी/कैम्प/14317 दिनांक 14-3-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 2630/11सी-कानपुर /22879/2016, दिनांक 12-6-2017 द्वारा संशोधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुये भारत सरकार को उपलब्ध कराये हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

3- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 12-6-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति सी०डी० सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि(प्रस्ताव)

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1302 (1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।